

भारतीय संविधान की रूपात्मक एवं संघात्मक विशेषताएं

भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद लक्षण उसका संघात्मक स्वरूप है। ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ही विदित हो जाता है, जिसमें भारत को राज्यों का संघ (Union of States) कहा गया है। कुछ न्यायविदों व राजनीति सिद्धान्तशास्त्री व विपणीकार इसे संघात्मक (Federal) कुछ इसे रूपात्मक (Unitary) तथा कुछ विचारक मध्यमवर्ग का अनुसरण करते हुए अर्द्ध - संघात्मक (Quasi-federal) कहते हैं।

संघवाद का अर्थ (Meaning of Federalism)

केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण या उनके रूपात्मक के संदर्भ में विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है - रूपात्मक और संघात्मक। रूपात्मक व्यवस्था में एक प्रत्यक्ष सम्पन्न शक्ति के हाथों में राज्य की सत्ता केन्द्रीकृत होती है। संघात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित विभिन्न रूपात्मक के बीच शक्तियों का वितरण होता है।

कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य (Some important statements)

मैं नहीं जानता कि कनाडा के संविधान में यूनिचन शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं। संघ संघ है जिसकी रूपात्मक उसे नहीं सकती, संघ अनाश्रयण है, डॉ. बी. डार. अम्बेडकर

संविधान के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि रूपात्मक है आप केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का कोई